छठी योजना

2473. **श्री गंगा भक्त सिंह :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि छठी पंचवर्षीय योजनावधि प्रारम्भ हो गई है लेकिन योजना आयोग छठी पंचवर्षीय योजना तैयार नहीं कर सका है जिस से देश में अनिश्चितता बनी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने छठी पंचवर्षीय योजना तैयार करने का कार्य प्रारम्भ कर लिया है और यदि हां, तो इसे कब तक अंतिम रूप दिया जायेगा ; और

(ग) अब तक छठी पंचवर्षीय योजना तैयार न करने के क्या कारण है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए 1978—83 की योजना के प्रारूप को राष्ट्रीय विकास परिषद् के सम्मुख उसकी दिनांक 18-19 मार्च, 1978 की बैठक में प्रस्तुत किया जा चुका है। परिषद् ने इस प्रारूप में प्रस्तावित उद्देश्यों और कार्यनीति को स्वीकार किया था और सरकारी क्षेत्र के परिव्यय के आकार और क्षेत्रीय आवंटनों को सामान्य रूप से अनुमोदित किया था । परिषद् ने यह भी निदेश दिया था कि वित्तीय प्रबन्धों के सम्बन्ध में राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया जाना चाहिए और सातवें वित्त आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए। यह विचार-विमर्श और अभ्यास चल रहे हैं। इसी बीच नई आयोजना की अवधि के पहले वर्ष अर्थात् 1978-79 की वार्षिक योजना तैयार की गई। उस पर राज्यों की सहमति हुई और वह अब कार्यान्वित की जा रही है। यह वार्षिक योजना पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की प्राथमिकताओं को अभिव्यक्त करती है और उसके मुख्य परिमापकों के अनुरूप है। इस प्रकार कोई अनिश्चितता नहीं है। योजना के प्रारूप को फरवरी-मार्च, 1979 तक अंतिम रूप दे दिए जाने की आशा है।

सिनेमा गृहों में अश्लील फिल्मों का प्रदर्शन

2474. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सरकार द्वारा कड़े पग उठाये जाने के बावजूद भी सिनेमा गृहों म अश्लील फिल्में प्रदर्शित की जा रही है ;

(ख) क्या सरकार ने दिल्ली में सिनेमा गृहों मे दिखाई जा रही ऐसी फिल्मों की ओर ध्यान दिया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे सिनेमा गृहों के लाइसेंस जब्त करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत छः महीनों में सरकार की जानकारी में ऐसे कितने मामले आये ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (घ). सभी फिल्में फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबन्धों तथा उनके अन्तर्गत जनवरी, 1978 में जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार जांची जाती हैं । बोड को यह सुनिश्चित करना होता है कि अशिष्टता, अश्लीलता और भ्रष्टता के दृश्य न हों जिनसे मानविक संवेदना क्षुब्ध हो। तथापि, फिल्मों के प्रदर्शन में अनाचार सरकार के ध्यान में आए जिनमें सेंसर न हुई फिल्मों, प्रतिबन्धित फिल्मों, जाली सेंसर प्रमाण-पत्र वाली फिल्मों, ऐसी फिल्मों जिनमें काटे गए अंश शामिल थे, के प्रदर्शन के उदाहरण देखे गए। हाल ही में फिल्म सेंसर बोर्ड के ध्यान में ऐसी पांच फिल्में आई हैं जिन्हें उस रूप जिसमें वे प्रमाणीकृत की गई थीं, से भिन्न रूप में दिखाया गया। कानून के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

(ख) इस प्रकार की कोई फिल्म ध्यान में नहीं आई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Setting up of a Cement Factory in Rewa, M.P.

2475. SHRI YAMUNA PRASAD SHASTRI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that adequate quantity of limestone is available for cement factory in Rewa district in Madhya Pradesh and whether demand has also been made to set up this factory there; and

(b) if so, whether Central Government propose to grant permission for setting up cement factory in Rewa during the current year?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) and (b). The Government of Madhya Pradesh have indicated that accord-